कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840
ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–828/230।

नया रायपुर, दिनांक 17/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Mungeli Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 0.063 ha. regarding**
पंजीयन कमांक– FP/CG/OFC/42453/2019

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–23/ 2020/ 10–2 दिनांक 09.10.2020
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 2787 दिनांक 01.12.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 में 19.962 हे. गैर वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है। किन्तु इसका विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया हैं।	19.962 हे. गैर वन भूमि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट –01)
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लेख है, जबकि वन भूमि का विस्तृत विवरण अनुक्रमांक 5 में 0.063 हे. उललेखित है।	गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लिपिकीय त्रुटीवश लेख हो गया था, स्थल निरीक्षण उपरांत 0.063 हे. का संशोधित प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर मय अनुशंसा प्रेषित किया गया है।

3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 45 में वन अधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटिव क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधी में है। इसी तरह संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (17) अनुसार आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। कृपया इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का अभिमत प्राप्त कर प्रेषित करें।	भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाने हेतु भुमिगत केबल लाईन बिछाने का कार्य विद्यमान सड़क मार्ग के Right of way के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 56 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति में आवेदित रकबा 0.206 हे. लेख है, जबकि प्रकरण 0.063 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रदाय किया गया था।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र एवं परिशिष्ट 01 की छाया प्रति (05 पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 828/2302 रायपुर, दिनांक 17/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, मुंगेली वन मंडल, मुंगेली, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2787 बिलासपुर, दिनांक 01-12-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

4/12

विषय :– Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", area – 0.063 ha.-regarding.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/एल.एम./1835 दिनांक 16.10.2020 व.म.अ. मुंगेली का पत्र क्र./तक./912/दिनांक 10.11.2020

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", हेतु कुल क्षेत्र 0.063 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में वांछित 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 में 19.962 हे. गैर वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है। किन्तु इसका विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया हैं।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 पृष्ट क्रमांक 18 में ग्रामवार वन एवं गैर वन क्षेत्र के विवरण का उल्लेख किया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लेख है, जबकि वन भूमि का विस्तृत विवरण अनुक्रमांक 5 में 0.063 हे. उललेखित है।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग

विविध- A

8966
11/12/2020

Scanned with CamScanner

		0.206 हे. लिपिकीय त्रुटीवश लेख हो गया था, स्थल निरीक्षण उपरांत 0.063 हे. का संशोधित प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर मय अनुशंसा प्रेषित किया गया है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 45 में वन अधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटिव क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधी में है। इसी तरह संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (17) अनुसार आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। कृपया इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का अभिमत प्राप्त कर प्रेषित करें।	भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाने हेतु भुमिगत केबल लाईन बिछाने का कार्य विद्यमान सड़क मार्ग के Right of way के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 56 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति में आवेदित रकबा 0.206 हे. लेख है, जबकि प्रकरण 0.063 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रदाय किया गया था।

संलग्न – वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./2788 2020/दिनांक 01-12-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।
2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

Scanned with CamScanner

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

A. General Details

(i). Proposal No. : FP/CG/OFC/42453/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : BharatNet Phase-II Mungeli_Division

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.

(iv). State : Chhattisgarh

(v). Category of the Project : Optical Fibre Cable

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(In ha.): 0.063

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading(by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/CG/OFC/42453/2019	28/11/2019	ss		11/12/2019	17/12/2019	Mungeli :17/12/2019	Bilaspur(CG) 27/06/2020 (Mungeli)	Chhattisgarh 06/07/2020	Chhattisgarh: 16/09/2020			

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
	Query raised by State Government (Chhattisgarh) on:11/11/2020	Query raised by Nodal Officer (Chhattisgarh) on:27/11/2020 Replied by Circle(Bilaspur(CG)) on:01/12/2020		Query raised by DFO (Mungeli) on:18/05/2020 Replied by UA on :12/06/2020 Query raised by DFO (Mungeli) on:22/06/2020 Replied by UA on :23/06/2020

NOTE:- Proposal is pending at **Nodal Officer** due to EDS raised by **State Government** .

Print page

Chief Conservator of forest
Bilaspur circle, Bilaspur (C.G.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)

Email – dfo.mungeli@cg.gov.in, dfomungeli@gmail.com

क्र./मा.चि./ 912 2020/मुंगेली, दिनांक 10/11/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", area – 0.063 ha.-regarding**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–828/1836 दिनांक 16.120.2019

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", हेतु कुल क्षेत्र 0.063 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसमें संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 में 19.962 हे. गैर वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है। किन्तु इसका विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया हैं।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 पृष्ट क्रमांक 18 में ग्रामवार वन एवं गैर वन क्षेत्र के विवरण का उल्लेख किया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लेख है, जबकि वन भूमि का विस्तृत विवरण अनुक्रमांक 5 में 0.063 हे. उललेखित है।	गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लिपिकीय त्रुटीवश लेख हो गया था, स्थल

Scanned with CamScanner

		निरीक्षण उपरांत 0.063 हे. का संशोधित प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर मय अनुशंसा प्रेषित किया गया है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 45 में वन अधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटिव क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधी में है। इसी तरह संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (17) अनुसार आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से4.5 कि.मी. की दूरी पर है। कृपया इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का अभिमत प्राप्त कर प्रेषित करें।	वरिष्ट कार्यालय से संबंधित है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 50 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति में आवेदित रकबा 0. 206 हे. लेख है, जबकि प्रकरण 0.063 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रदाय किया गया था।

अतः उपरोक्तानुसार विवरण के आवश्यक कार्यवाही सादर संप्रेषित है ।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)

पृ.क्र./मा.चि./ 913 2020/मुंगेली, दिनांक 10 /11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल मुंगेली (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कमांक/भानेप्रो–II/वनभूमि/प्रस्ताव/2019–20/104–5 रायपुर, दिनांक : 22.10.2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध),
अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक,
कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर, (छत्तीसगढ़)

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose onder forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase II Mungeli Forest Division, which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fiber cable laying approximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 district across the state, area – 0.063 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42453/2019

संदर्भ : 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–828/1835 नवा रायपुर दिनांक 16.10.2020।
2.छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ–5–23/2020/10–2 दिनांक 09.10.2020।

–00–

महोदय,

विषयान्तर्गत अवगत हो कि भारतनेट प्रोजेक्ट फेज–2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है उसका विवरण निम्नानुसार है –

बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 में 19.962 है गैर वन भूमि प्रभावित दर्शाण गया है। किन्तु इसका विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में ग्रामवार वन क्षेत्र का विवरण का उल्लेख किया गया है।

TATA PROJECTS LIMITED
Bharat Net Project, Office No-402, 4th Floor, Offizo, Magneto The Mall, GE Road, Labhandi, Raipur-492001
Mob:-+ 91 7000240007, Email: ajayn@tataprojects.com, www tataprojects.com

Scanned with CamScanner

2.	प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की माग 0.206 है लेख है जबकी वन भूमि का विस्तृत विवरण अनुक्रमांक 5 में 0. 063 हे. उल्लेखित है।	उक्त प्रकरण में वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत ये बात प्रकाश में आया है कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वनभूमि में प्रभावित न होकर गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वनभूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा किया गया है। प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की माग 0.206 है लेख है जिसे वनमंडल कार्यालय द्वारा संशोधित किया जावेगा।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 45 में वन अधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटिव क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधी में है। इसी तरह संदर्भित पत्र के बिन्दु (17) अनुसार आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। कृपया इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू –प्रबंध) का अभिमत प्राप्त प्रेषित करें।	आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तावित ओ.एफ.सी. रूट विद्यमान मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही किया जावेगा केबल बिछाने के कार्य भूमिगत सामानांतर ड्रिलिंग तकनीक से वन अधिकारियो की जानकारी एवं देखरेख में किया जावेगा जिससे वन्यप्राणी एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न हो। आवेदित क्षेत्र अचानकमार टायगर रिजर्व क्षेत्र के अन्दर से या उसके सीमा क्षेत्र से होकर नहीं गुजर रहा है अतः इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य दन का (भू –प्रबंध/वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ 56 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति में आवेदित रकबा 0. 206 हे. लेख है जबकी प्रकरण 0.063 हे वन भूमि व्यपवर्तन से सम्बंधित है। कृ पया स्थिति स्पष्ट करें।	उक्त प्रकरण में वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वनभूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा किया गया है। जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति हेतु आवेदन अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रदायित वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुशंसा के पहले ही जारी किया जा चुका था।

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 4 बिन्दुओ में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली, छत्तीसगढ़।

TATA PROJECTS LIMITED TATA

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट-1

Villages wise breakup of Non-Forest Land in Mungeli Forest Division utilized in Bharatnet Project Phase-II

S. No.	Village	Non-Forest Land (in Ha.)
1	Achidongri	0.389
2	Akharar	0.201
3	Amaldihi	0.091
4	Aurabandha	0.275
5	Baghani Bhanwar	0.152
6	Baghmar	0.119
7	Baigakapa	0.198
8	Baijalpur	0.399
9	Bandha	0.832
10	Barampur	0.019
11	Bhalukhodra	0.152
12	Bhaskara	0.012
13	Bhatha	0.037
14	Bicharpur	0.108
15	Bijrakapa Kala	0.015
16	Bijrakapa Khurd	0.144
17	Bodtara Kala	0.171
18	Boirpara	0.03
19	Budhwara	0.247
20	Chachandih	0.131
21	Chandli	0.348
22	Chilfi	0.101
23	Chachedi	0
24	Darwaja	0.559
25	Daukapa	0.047
26	Devarhat	0.011
27	Dhaniyadoli	0.047
28	Dharampura	0.216
29	Dhobghatti	0.089
30	Dholgi	0.395
31	Dhourabhata	0.483
32	Dindol	0.132
33	Dindori	0.222
34	Dongarigarh	0.086
35	Dongriya	0.009
36	Fuljhar	0.128
37	Fulwari	0.14
38	Fulwarikala	0.005
39	Gadatola	0.126
40	Ghanaghat	0.113
41	Ghatoli	0.072
42	Godkhamhi	0.217

S. No.	Village	Non-Forest Land (in Ha.)
43	Gorakhpur	0.04
44	Gurvaidabri	0.083
45	Hardi	0.019
46	Hardi Bandh	0.13
47	Jhajhpurikala	0.04
48	Jhalri	0.017
49	Jhaphal	0.061
50	Jotpur	0.017
51	Kanchanpur	0.143
52	KANTELI	0.031
53	Karankapa	0.29
54	Kathotiya	0.194
55	Khairwar Khurd	0.029
56	Khaprikala	0.475
57	Khektara	0.497
58	Kodwa Mahant	0.331
59	Koilari	0.086
60	Kosabadi	0.116
61	Kosamtara	0.497
62	Kotri	0.093
63	Kumhrouli	0.019
64	Kundhurtal	0.109
65	Lachhanpur	0.124
66	Lagra	0.178
67	Lakhasar	0.061
68	Lalpur kala	0.249
69	Lalpur Thana	0.025
70	Lapti	0.017
71	Lilapur	1.097
72	Lormi Block	1.438
73	Manki	0.121
74	Manoharpur	0.244
75	Masna	0.241
76	Mohanpur	0.193
77	Mohdanda	0.125
78	Mohtara Kurmi	0.239
79	Mohtarateli	0.35
80	Muchhel	0.308
81	Narayanpur	0.216
82	Nathalapara	0.2
83	Naurangpur	0.246
84	Navagaon Benkat	0.065
85	Navagaon D	0.08
86	Navagaon Dhelka	0.074
87	Paijaniya	0.122

S. No.	Village	Non-Forest Land (in Ha.)
88	Paraswara	0.132
89	Parsakapa	0.039
90	Patharra	0.011
91	Pendri Talab	0.128
92	Pendritalab	0.117
93	Piparkhuta	0.042
94	Piparkhuti	0.165
95	Rahangi	0.185
96	Rajpalpur	0.168
97	Rajpur	0.014
98	Ramhepur Gh	0.041
99	Ramhepur Kalan	0.02
100	Salheghori	0.105
101	Saraipatera	0.384
102	Sardha	0.187
103	Saristal	0.08
104	Savantpur	0.141
105	Semariya	0.008
106	Semarsal	0.036
107	Senguda	0.03
108	Singhanpuri	0.27
109	Sukli	0.117
110	Surajpura	0.612
111	Telikhamhi	0.035
112	Teliyapuran	0.053
113	Tilakpur	0.159
114	Ujiyarpur	0.011
115	Uraikachhar	0.074
Total		**19.962**

TATA PROJECTS LIMITED
TATA

(Ajay Nayak)
Authorised Signatory
Tata Project Limited,
For, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS)
Raipur, Chhattisgarh

परियोजना प्रबन्धक
भारत नेट, चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)